कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री एस0 के0 पलियाल	फार्मासिस्ट	सामु0 स्वा0केन्द्र लण्ढौरा, हरिद्वार	प्रा0स्वा0केन्द्र मानथात, चकराता, दे0दून	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12361 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/चकराता।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर0सी0 बहुगुणा	फार्मासिस्ट	सामु0 स्वा0 केन्द्र रायपुर, देहरादून	सामु0स्वा0केन्द्र सहिया दे0दून	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12359 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चकराता।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप भट्ट	फार्मासिस्ट	अति0प्रा0स्वा0के0 बिठौरिया, नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र बाजपुर उ0सि0न	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12357 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 1 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता	फार्मासिस्ट	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र भानियावाला, दे0दून	प्रा0स्वा0केन्द्र सैजी ब्लाक पौडी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12355 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौडी।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौडी।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक–24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री डबल सिंह	फार्मासिस्ट	एस0पी0एस0 चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून	एस0ए0डी0 जैनबिष्ट, चमोली	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12353 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, एस0पी0एस0 चिकित्सालय, ऋषिकेश देहरादून ।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दीपक राणा	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0केन्द्र विकासनगर, दे0दून	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र गजा, टिहरी गढवाल	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12351 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी गढवाल।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, राज0 कोरोनेशन चिकि0 देहरादून ।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढवाल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गीतांजली	फार्मासिस्ट	राज0 कोरोनेशन चिकि0 देहरादून	प्रा0स्वा0केन्द्र नन्दगांव, टिहरी गढवाल	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12349 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी गढवाल।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, राज0 कोरोनेशन चिकि0 देहरादून ।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढवाल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुकेश कुमार नौटियाल	फार्मासिस्ट	दून महिला चिकित्सालय, देहरादून	एस0ए0डी0 पाडुकेश्वर, चमोली	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12347 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश कुमार जोशी	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र घुत्तु, टि0ग0 (महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय, देहरादून में यथावत सम्बद्ध)	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12345(B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमेश चन्द्र बड़ोनी	फार्मासिस्ट	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र पौखाल, पौडी	एस0ए0डी0 बरौंथा, देहरादून (सम्बद्धता यथावत)	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12275(B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री उत्तम सिंह बिष्ट	फार्मासिस्ट	एच0एम0जी0 जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	महिला चिकित्सालय, त्यूनी, देहरादून(सम्बद्ध गांधी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून)	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12277 (13) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, एच0एम0जी0 जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक–24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दिनेश कुमार	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0केन्द्र बिरोंखाल, पौडी	प्रा0स्वा0केन्द्र कुन्जाग्रान्ट, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12279 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रेमचन्द	फार्मासिस्ट	बेस चिकित्सालय, अल्मोडा	महिला चिकित्सालय, अल्मोडा	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12281 (13) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा ।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला अल्मोडा/ बेस चिकित्सालय, अल्मोडा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश चन्द्र जोशी	फार्मासिस्ट	जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोडा	संयुक्त चिकित्सालय, पदमपुरी, नैनीताल	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12283 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोडा /संयुक्त चिकित्सालय पदमपुरी, नैनीताल।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर0एस0ऐरी	फार्मासिस्ट	बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी नैनीताल	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12285 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल/महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक–24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दीक्षा थपलियाल	फार्मासिस्ट	एस0ए0डी0 पहाड़पानी, नैनीताल	संयुक्त चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/12287(B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर, देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक–24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती निर्मला बेरी टम्टा	फार्मासिस्ट	सामु0स्वा0केन्द्र देवायल सल्ट, अल्मोडा	प्रा0स्वा0के0 बैलपडाव, नैनीताल	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12289 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री हितेन्द्र नेगी	फार्मासिस्ट	प्रा0स्वा0केन्द्र सैजी ब्लाक,पौडी	अति0 प्रा0स्वा0केन्द्र भानियावाला, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12292 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुकेश कुमार	फार्मासिस्ट	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र चाकीसैंण, पौडी	प्रा0स्वा0केन्द्र मेहुवाला, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/12293 (13) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुन्दन लाल नौटियाल	फार्मासिस्ट	एस0ए0डी0 जैन बिष्ट,चमोली	एस0पी0एस0 चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12295 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, एस0पी0एस0 चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री गोपाल चन्द्र नौटियाल	फार्मासिस्ट	एस0ए0डी0 मंणिगुह, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	एस0ए0डी0 चोपडियाल गांव, टिहरी गढवाल	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12297 (B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/टिहरी गढवाल।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/टिहरी गढवाल।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/6/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद कुमार	फार्मासिस्ट	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र घेघड़खाल, रूद्रप्रयाग	अति0प्रा0स्वा0केन्द्र पश्चिमवाला, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12299 (13) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/देहरादून।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फार्मासिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कृष्ण कुमार चौहान	फार्मासिस्ट	एस0ए0डी ग्वाड, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	प्रा0स्वा0केन्द्र लालढांग, हरिद्वार	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/फार्मा0/15/2019/ 12301(B) तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/हरिद्वार।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/हरिद्वार।
5– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)